



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श10)
(सं० पटना 141) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
3 अक्टूबर 2025

सं० 1स्था०-82/2025-2900/वि०स०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित प्रावधान के तहत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग में निम्नांकित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान धारित पद
1.	श्री राजीव रंजन-1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
2.	श्री अरुण कुमार	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
3.	श्री सुनील कुमार-1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
4.	श्री जयकांत कुमार सिन्हा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती कुमारी नीरज पाल	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7.	श्री राजीव रंजन-3	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है ।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रशाखा पदाधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि वापस ले ली जायेगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 141-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>